

सहायक कलेक्टर माण्डल

72/23

पत्रावली पेशा हुई, वकील प्रार्थी उपास्थित, अप्राथीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाब्दिक किये गये। अप्राथीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नहीं हुए इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिठपि पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॅसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपसहकार्य अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



गायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

राशि
नो.
नाम
डा

अधिकारी- नारायण लाल जीगगर (आर0ए0एस0)

पा- 04/23 प्रावपत्र

शुशीला प्लोकी मलवीर प्रसाद दरोगा निवासी- बालापी कालोरा,
माकति नगर तहसील भीलवाड़ा [बंगला]

-प्रार्थी

बनाम

पद्मदीशचन्द्र सो धादुलाल बलाई निवासी- माडू तहसील- माण्डल [बंगला]
(सिद्धांतित प्रावपत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 07.02.23

::आदेश::

1. ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम माडू पटवार माडू हल्का माडू तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं 3060, 2943 कुल कित्ता 0.2 रकबा 1.4417 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की तदी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का जारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

1. का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम माडू पटवार माडू तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 3060/1316, 2943/1314 कुल कित्ता 0.2 रकबा 1.4417 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी दे जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख रीक्षक भुहारिया को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खेड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा